न्यायालयः—राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

अपील संख्या 35/2000

1. मोहनलाल पुत्र कासीराम जाति सुनार निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (फौत)

1/1 सन्तोष पत्नि मोहनलाल (फौत)।

1/2 सुनिता पुत्री मोहनलाल जाति सुनार निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/3 ललिता पुत्री मोहनलाल जाति सुनार निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/4 नरेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति सुनार निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/5 नीतू पुत्री मोहनलाल जाति सुनार निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्टस

—: बनाम :—

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. श्योकरण पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश सहायक कलैक्टर रावतसर दिनांक 27.05.2000 मु.न. 37/2000
आवंटन पत्रावली मोहनलाल वल्द कासीराम

उपस्थित :—

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1
श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2

निर्णय दिनांक —23.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पास गांव पोहड़का के प.न. 157/30 कि.न. 3 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25/19.00 बीघा, प.न. 137/38 कि.न. 1ता20/20.00 बीघा कुल 39.00 बीघा बारानी भूमि कब्जा काश्त मे थी जो सम्वत 2046 से

अपीलांट को स्थाई एकसाला अलॉट थी तब से अपीलांट लगातार इस रकबा पर काबिज चला आ रहा है। अपीलांट को उक्त रकबा जरिये आदेश दिनांक 22.05.2000 को आवंटन अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर रावतसर द्वारा 540/– रू0 प्रति बीघा के हिसाब से पुख्ता आवंटन किया। उक्त आवंटन का रिकार्ड मे अमल दरामद हो चुका। उक्त आदेश के बाद सहायक कलैक्टर रावतसर द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 27.05.2000 को जारी कर उक्त आवंटन अपीलांट को बिना सुने निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2000 खिलाफ कानून है। अपीलांट के हक मे हुए दिनांक 22.05.2000 के आवंटन को बिना वजह बिना किसी आधार एवं बिना किसी प्रकार की सुनवाई का मौका दिये निरस्त कर आवंटन नियमो की अवहेलना की है। अपीलांट उक्त रकबा पर पूर्व मे बतौर टीसी होल्डर व अब बतौर पुख्ता अलॉटी काबिज है जिसमे नियमानुसार किश्ते खजाना राज मे जमा करवा दी है। इस प्रकार सहायक कलैक्टर को अपीलांट को हुए आवंटन को निरस्त करने का कोई अधिकार नही है। अपीलांट आवंअन का पात्र है, पात्रता की जांच की जाकर ही आवंटन किया गया था जिसे नियमानुसार सहायक कलैक्टर खारिज नही कर सकता है। आवंटन के संबंध मे आवंटन राशि खजानाराज मे जमा करवाई गई थी परन्तु आवंटन को निरस्त करने से पूर्व न तो कोई जांच की गयी व न ही अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया गया। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि पर स्व. मोहनलाल के जीवनकाल मे उनका एवं उनके फौत होने पर उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है आज रोज भी अपीलांट का कब्जा है। रेस्पो0 सं. 2 श्योकरण और उसका पिता नन्दराम कभी पोहड़का गांव मे ही नही रहा है। जिसके संबंध मे ग्राम पंचायत पोहड़का प्रमाण पत्र दिनांक 17.11.2014 एवं पूर्व मे जारी असल प्रमाण पत्र 06.11.98 प्रस्तुत है। जो विधिक प्रावधानो के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो का रिकार्ड पर लिये जाने का कथन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा निर्णय दिनांक 27.05.2000 के विरूद्ध दिनांक 22.07.2000 को प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। अपीलांट को किये जाने के बाद पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि राजस्व अभियान के समय कार्य की अधिकता से प्रस्तुत पत्रावली मोहनलाल पुत्र काशीराम की सहबन से गलत रिपोर्ट हो गई। पत्रावली का रकबा धारा 121 से मेल नही खाता। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत आवंटन अपीलाधीन आदेश के जरिये निरस्त किया गया था जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली सं. 13/17 आदेशिका, प्रमाणित प्रतिलिपि रिपोर्ट पटवारी हल्का पोहड़का, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत 2074, प्रमाणित प्रतिलिपि नोटिस धारा 22, प्रमाणित प्रतिलिपि जबाव नोटिस, प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली सं. 10/2016 फर्द अहकाम, प्रमाणित प्रतिलिपि रिपोर्ट पटवारी हल्का पोहड़का, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तन निर्धारण सम्वत 2073, प्रमाणित प्रतिलिपि नोटिस धारा 22, असल प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पोहड़का, असल प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पोहड़का, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2045 दस्तावेजात अपील के निस्तारण मे सहायक होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2000 द्वारा विवादित भूमि तहसीलदार रावतसर के प्रतिवेदन जो अलॉटी के आवेदन पत्र पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि का टी0सी0 होल्डर मानकर 540/– रूपये प्रति बीघा की दर से राजस्थान उपनिवेशन (इन्द्रिरा गांधी नहर परियोजना) क्षेत्र मे सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के अन्तर्गत अलॉट की गई है। उक्त भूमि अलॉटी के पास अस्थाई सम्वत 2046 से अलॉट थी। पटवारी हल्का, भू0अ0 निरीक्षक एवं तहसीलदार ने भी अपीलांट/अलॉटी के आवेदन पत्र की पुष्टि की है। जिसके आधार पर अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है तथा अपीलांट को टीसी होल्डर मानते हुए पुख्ता आवंटन किया गया है। प्रतिलिपि चालान रसीद के अनुसार 1000/–रू0 किश्त पेटे दिनांक 06.06.2000 को जमा करवाई गई। तत्पश्चात पटवारी हल्का पोहड़का एवं तहसीलदार रावतसर की रिपोर्ट पर कि पत्रावली मे सहबन से गलत रिपोर्ट हो गई।

पत्रावली का रकबा धारा 121 से मेल नही खाता तथा प्रार्थी का पट्टा भी गलत प्रतीत होता है। आवंटन खारिज किया जावें। उक्त रिपोर्ट जिस पर दिनांक भी अंकित नही है, के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 22.05.2000 को अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खारिज कर दिया गया है जबकि आवंटन नियमों के तहत आवंटन अधिकारी को आवंटित रकबा खारिज करने के कोई अधिकार प्रावधानो के तहत नही है। उपनिवेशन अधिनियम के तहत बने राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत आवंटित रकबा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 के प्रावधानो के अन्तर्गत ही खारिज किया जा सकता है जिसके अधिकार जिला कलक्टर मे निहित है। आवंटन अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश द्वारा जो आवंटन खारिज किया है वह बिना क्षेत्राधिकार एवं आवंटी को सुनवाई का अवसर दिये बिना खारिज किये जाने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2000 निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2000 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़